



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1944 (श10)
(सं0 पटना 274) पटना, वृहस्पतिवार, 5 मई 2022

सं० ई2-1-1/2022-1793
निर्वाचन विभाग

संकल्प

5 मई 2022

विषय :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 चिन्हित लगभग 600 (छः सौ) तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्रों से निर्वाचन मतदान, मतगणना प्रक्रिया का **Live Webcasting** कराये जाने के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर **NICSI** को एजेंसी के रूप में कार्य करने की घटनोत्तर अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

1. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-464/INST/2014-EPS दिनांक 21.03.2014 एवं पत्रांक 485/COMP/2017 (webcasting) दिनांक 19.09.2017 से साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को देखे जाने के लिए **Live Webcasting** कराये जाने का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया और प्रत्येक चुनावों के अवसर पर चिन्हित मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया का **Live Webcasting** कराई जाय। इस वर्ष बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-322/LC/INST/2010-CC&BE दिनांक 24.02.2010 D.O.No. 485/Comp/Webcasting/2019 दिनांक 07.02.2019 एवं पत्रांक-464/INST/2021-EPS दिनांक 25.02.2021 के माध्यम से दिये गये निर्देश के आलोक में चिन्हित मतदान केन्द्रों से मतदान प्रक्रिया की **Live Webcasting** कराई जानी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2020 को **COVID-19** के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

- निर्गत किया गया, जिसके कंडिका 15(3) के अनुसार मतगणना के क्रम में मतगणना अभिकर्ता को गणना सुस्पष्ट दिखे जाने हेतु गणना की **Display** किये जाने का निर्देश है, जो **Live Webcasting** के माध्यम से ही किया जा सकता है।
2. मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर संचालित होने वाले प्रक्रिया के सीधा प्रसारण **Live Webcasting** के माध्यम से जिला/राज्य एवं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाता है। जिससे मतदान केन्द्र पर मतदान दल द्वारा एवं मतदाता द्वारा संपन्न किये जा रहे मतदान के गुणवत्ता की सही जानकारी मुख्यालय को प्राप्त होती है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर की गई व्यवस्था की भी पूरी जानकारी मुख्यालय को प्राप्त होती है। मतगणना के दिन मतगणना केन्द्रों से मतगणना संबंधी सभी जानकारी मुख्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को प्राप्त होगी।
 3. इस कार्य हेतु भारत सरकार की अर्द्धसरकारी एजेंसी **National informatics Center Services Inc (NICSI)** की सेवा ली जा रही है। क्योंकि तकनीकी एवं विशेषज्ञ के रूप में **NICSI** केन्द्रीय एजेंसी है। इनके कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी रही है। **NICSI** द्वारा बिहार राज्य में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020, लोकसभा उप निर्वाचन, 2020, स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, 2020 एवं विधान सभा उप निर्वाचन, 2021 में **Live Webcasting** का काम अच्छी तरह से किया गया है। इनके द्वारा राज्य के अन्य विभाग में भी तकनीकी कार्य किया जा रहा है।
 4. साईबर सुरक्षा कारणों से मतदान केन्द्रों से **Live Webcasting** **NICSI** के माध्यम से कराये जाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (**NIC**), पटना से अनुरोध किया गया था।
 5. गत विधान सभा निर्वाचन/लोकसभा उप निर्वाचन में कार्य किये जाने का दर प्रति मतदान केन्द्र **₹6250** (सभी कर सहित) है, जो 2022 में भी लागू है। **NICSI** द्वारा इनके इम्पैनल्ड एजेंसी से 600 लगभग (मतदान एवं मतगणना केन्द्रों) पर **Third Party Cloud** का उपयोग करते हुए एक दिन के **Webcasting** हेतु **₹3750000/-** (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की व्यय होने की संभावना है।
 6. कंडिका-1, 2 एवं 3 में निहित शर्तों के अंतर्गत उक्त राशि का भुगतान मांग संख्या-06 मुख्य शीर्ष-2015 निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0002 राज्य विधान परिषद् निर्वाचन, विषय शीर्ष 0002.13.01 कार्यालय व्यय, विपत्र कोड 06-2015001060002 एवं उपशीर्ष-0001 राज्य विधान सभा निर्वाचन के विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड 06-2015001060001 अंतर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।
 7. राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश एवं आयोग के पत्रांक-**ECI/PN/26/2022** दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट से बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2022 हेतु चिन्हित लगभग 600 (छः सौ) तथा उप निर्वाचन के मतदान केन्द्रों से निर्वाचन मतदान, मतगणना प्रक्रिया का **Live Webcasting** का कार्य उपर्युक्त कंडिका 5 एवं 6 के आलोक में तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर **NICSI** से सम्पन्न करा लिया गया है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.04.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या- 11 के रूप में **NICSI** द्वारा सम्पन्न कराये गए संदर्भित **Live Webcasting** कार्य की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
- आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(हो) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,
-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 274-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>